प्रेस नोट - दिनांक 17.07.2026
थाना बिहार, जनपद उन्नाव।

थाना बिहार क्षेत्र में अज्ञात महिला के मिले शव व पोस्टमार्टम के बाद पंजीकृत हत्या के अभियोग में थाना बिहार पुलिस, स्वाट एवं सर्विलांस टीम द्वारा महिला की हत्या की घटना का खुलासा करते हुए घटना मे शामिल तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया (जिसमें दो अभियुक्त लखनऊ में हत्या के दो अलग अलग अभियोग मे आजीवन कारावास से दंडित है तथा जमानत पर जेल से बाहर आये हुए थे) तथा घटना मे प्रयुक्त कार बरामद की गई।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 06.07.2026 को समय करीब 14:30 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि बिहार मौरावों मार्ग पर केदार खेड़ा नहर पुलिया के पास एक महिला का शव पड़ा हुआ है, जिस पर शव का शिनाख्त कराने का प्रयास करते हुए पंचायत नामा की कार्यवाही की गयी तथा नियमानुसार 72 घण्टे वाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया मृत्यु का कारण कोमा ड्यू टू एण्टीमॉर्टम हेड इंजरी आने के बाद मु०अ०सं०:- 217/2026 धारा 103(1), 227 बी0एन0एस0 पंजीकृत कर मृतका की शिनाख्त व घटना का अनावरण किये जाने का प्रयास किया जा रहा था। घटना के अनावरण हेतु दिनांक 11 जुलाई, 2026 को स्वाट व सर्विलांस टीम को थाना बिहार के साथ लगाया गया था। दिनांक 16.07.2026 को थाना बिहार पुलिस, स्वाट व सर्विलासं टीम द्वारा घटना में शामिल प्रकाश मे आये तीन अभियुक्तों 1. राधाकान्त दूबे उर्फ कक्कू पुत्र स्व. रामअजोर दूबे नि० दूबेपुर थाना बीकापुर जनपद अयोध्या, उम्र लगभग 59 वर्ष हाल पता निवासी मकान नं0 551च/144 सरदारीखेड़ा थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ 2. उमेश चन्द्र यादव पुत्र लक्ष्मीनरायण यादव नि० रहीमनगर भदेशुआ थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ, हाल पता बिरहाना खेड़ा 37ए सेक्टर एम आशियाना लखनऊ, उम्र लगभग 50 वर्ष 3. सुमन वर्मा पत्नी इन्द्रजीत वर्मा नि० सुनौरा गाउपुर थाना बीकापुर जनपद अयोध्या, उम्र लगभग 40 वर्ष वर्तमान पता सेक्टर बी, राजाजीपुरम थाना तालकटोरा किराये का मकान में कार्य स्थल संविदा नर्सिंग ऑफीसर के०जी०एम०यू० लखनऊ को आलमबाग लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। **पूँछताछ में मृतका की शिनाख्त की गई तथा मृतका के परिजनों द्वारा मृतका के गायब होने के सम्बन्ध में दिनांक 07.07.26 को थाना कृष्णा नगर लखनऊ में गुमशुदगी दर्ज करायी थी एवं तीनों अभियुक्तों द्वारा घटना स्वीकार्य की गयी, घटना में प्रयुक्त कार को बरामद किया गया। अभियुक्त राधाकान्त व अभियुक्त उमेश चंद्र यादव उपरोक्त जनपद लखनऊ में अलग-अलग हत्या के अभियोगों में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित है तथा जमानत पर आये हुए थे। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।**

पूँछतांछ का विवरणः-

अभियुक्त राधाकान्त दूबे उर्फ कक्कू ने बताया कि वह सरदारी खेड़ा में फरवरी 2025 में एक पुराना मकान खरीदा था जिसको तोड़कर उसने नया मकान बनाया है उसी में रह रहा है. उसकी पत्नी व पुत्री सीतापुर मे नौकरी कर रहीं है। उसका सम्बन्ध मृतका से हो गया था वह उसी के घर में रहने का दबाव बना रही थी इसलिए उसने मृतका को दिनांक 05.07.26 को समय करीब 14:30 बजे अपने एक दोस्त के खाली पड़े पुराने मकान में बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवा मिला कर पिला दिया। उसके अचेत होने के उपरान्त ईंट से मारकर उसकी हत्या कर दिया था, इसके रात्रि में अपने मित्र उमेश चन्द्र यादव जोकि कार मालिक है को बुलाकर शव को फेकने के लिए तैयार

किया तथा अपने परिचित महिला सुमन वर्मा उपरोक्त को इस लिए बुलाया कि यदि महिला गाड़ी में बैठी रहेगी तो रास्तें में पुलिस द्वारा चेक किए जाने पर यह बताया जा सके कि अपने परिवार के साथ महिला का उपचार कराने जा रहा है।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. राधाकान्त दूबे उर्फ कक्कू पुत्र स्व. रामअजोर दूबे नि० दूबेपुर थाना बीकापुर जनपद अयोध्या, उम्र लगभग 59 वर्ष हाल पता निवासी मकान नं0 551च/144 सरदारीखेड़ा थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ
2. उमेश चन्द्र यादव पुत्र लक्ष्मीनरायण यादव नि० रहीमनगर भदेशुआ थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ, हाल पता बिरहाना खेड़ा 37ए सेक्टर एम आशियाना लखनऊ, उम्र लगभग 50 वर्ष
3. सुमन वर्मा पत्नी इन्द्रजीत वर्मा नि० सुनौरा गाउपुर थाना बीकापुर जनपद अयोध्या, उम्र लगभग 40 वर्ष वर्तमान पता सेक्टर बी, राजाजीपुरम थाना तालकटोरा किराये का मकान में।

कार्य स्थलः- संविदा नर्सिंग ऑफीसर के०जी०एम०यू० लखनऊ।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त - राधाकान्त दुबे उर्फ कुक्कू पुत्र स्व0 श्री रामअजोर दुबे निवासी मकान नं0 551च/144 सरदारीखेड़ा थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ-

1.मु0अ0सं0 – 298/86 धारा 457/511 भादवि थाना कृष्णानगर लखनऊ
2.मु0अ0सं0- 207/92 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कृष्णानगर लखनऊ
3.मु0अ0सं0 -563/92 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कृष्णानगर लखनऊ
4.मु0अ0सं0 -41/93 धारा 394 भादवि थाना कृष्णानगर लखनऊ
5.मु0अ0सं0 -556/93 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कृष्णानगर लखनऊ
6.मु0अ0सं0- 94/94 धारा 394/395/342/506 भादवि थाना कृष्णानगर लखनऊ
7.मु0अ0सं0- 347/95 धारा 323/504/506 भादवि थाना कृष्णानगर लखनऊ
8.मु0अ0सं0 -386/95 धारा 8/18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कृष्णानगर लखनऊ
9.मु0अ0सं0- 240/96 धारा 110 जी गुण्डा एक्ट थाना थाना कृष्णानगर लखनऊ
10.मु0अ0सं0 -591/97 धारा 504/506 भादवि थाना कृष्णानगर लखनऊ
11.मु0अ0सं0- 269/98 धारा 307 भादवि थाना कृष्णानगर लखनऊ
12.मु0असं0- 379/99 धारा 302 भादवि थाना कृष्णानगर लखनऊ
13.मु0अ0सं0 39/2002 धारा 147/506/379 भादवि थाना कृष्णानगर लखनऊ
14.मु0अ0सं0 98/2006 धारा 3 UP गुण्डा एक्ट थाना थाना कृष्णानगर लखनऊ
15.एनसीआर- 46/2006 धारा 323/504/427 भादवि थाना कृष्णानगर लखनऊ
16.मु0अ0सं0 -333/06 धारा 365 9 PG व 302/201/404/411/376 भादवि थाना कृष्णानगर लखनऊ
17.मु0अ0सं0- 353/2006 धारा 25/25 आर्म्स एक्ट थाना कृष्णानगर लखनऊ
18.मु0अ0सं0 -01/2007 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कृष्णानगर लखनऊ

अभियुक्त- उमेशचन्द्र यादव पुत्र लक्ष्मी नरायण यादव निवासी रहीमनगर भदेशुआ थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ हाल पता बिरहानाखेड़ा 37ए सेक्टर एम आशियाना लखनऊ उम्र लगभग 50 वर्ष

1.मु0अ0सं0 - 573/2009 धारा 302/394/34 भादवि थाना मड़ियाव जनपद लखनऊ
2.मु0अ0सं0 -1013/2009 धारा 302/304ए/201/279 भादवि थाना पुरवा जनपद उन्नाव
3.मु0अ0सं0- 207/2009 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हरवंशमोहाल जनपद कानपुर नगर
4.मु0अ0सं0 -493/2009 धारा 302/364/394/201 भादवि मोहनलालगंज जनपद लखनऊ
5.मु0अ0सं0 206/2009 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मड़ियाव जनपद लखनऊ

6.मु0अ0सं0 768/2017 धारा 379 भादवि थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ
7.मु0अ0सं0- 409/19 धारा 323/504/506/406/420 भादवि थाना आशियाना जनपद लखनऊ

बरामदगीः-

1. घटना में प्रयुक्त कार UP32HD6636 सेलेरियो

स्वाट टीम-

निरीक्षक श्री जयप्रकाश यादव प्रभारी
उ0नि0 मंसूर अहमद
हे0का0 रोहित शर्मा
हे0का0 आशीष मिश्रा
का0 रवि कुमार
का0 हरेश कुमार
का0 नितीश कुमार
का0 यशवीर सिंह
का0 राहुल कुमार
का0 गौरव
का0 अभय सिंह
का0 शुभम तोमर

सर्विलांस टीम-

उ0नि0 श्री अतुल कुमार वर्मा
हे0का0 सुदीप कटियार
हे0का0 शीतांश गंगवार
का0 प्रशांत बालियान
का0 विवेक कुमार
का0 आकाश बालियान
का0 अरूण कुमार

थाना बिहार पुलिस टीम-

थाना प्रभारी श्री राहुल सिंह
हे0का0 भालचंद्र
का0 मुकेश मिश्रा
का0 शैलेष
म0का0 रूपा
रि0का0 तनिष्क कुमार
रि0म0का0 दीप्ती

नोट- पुलिस महानिरीक्षक महोदय लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ द्वारा घटना का अनावरण करने वाली टीम को 50,000/- रू0 के नकद पुरस्कार की घोषणा की गई है।